भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 19 (आर ई - 2010)/2009-2014

नई दिल्ली, दिनांक : 10 फरवरी, 2011

विषयः- प्याज के निर्यात पर निषेध - बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज के निर्यात हेतु छूट के संबंध में ।

सां.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, तत्काल प्रभाव से, अधिसूचना संख्या 13 (आर ई-2010)2009-14 दिनांक 22.12.2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

2. बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज का निर्यात तत्काल प्रभाव से 'निषिद्ध' श्रेणी से 'प्रतिबंधित' श्रेणी में लाया जाता है । इस प्रकार अधिसूचना संख्या 13(आर ई-2010)2009-14 दिनांक 22.12.2010 द्वारा प्याज के निर्यात पर लगाई गई रोक, प्याज की इन दो श्रेणियों पर लागू नहीं होगी । तद्नुसार, निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 की तालिका ख में प्रविष्टि 44 को निम्नानुसार क्र.सं. 44.01 और 44.02 की प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

अध्याय - 7

खाद्य सब्जियाँ और कुछ जड़ें एवं कन्द

टिप्पणी 1. इस अध्याय में प्याज के संदर्भ में ताजे अथवा हिमशीतित, अनंतिम रूप से संरक्षित अथवा शुष्कित प्याज शामिल हैं ।

क्रम.सं0	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
44.01	07031010 07122000	किग्रा.	प्याज (बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज को छोड़कर सभी किस्में) कटे, स्लाइस्ड अथवा पाऊडर के रूप में टूटे हुए को छोड़कर,	निषिद्ध	निर्यात हेतु अनुमत नहीं है।

44.02	07031010 07122000	किग्रा.	कटे, स्लाइस्ड अथवा पाऊडर के रूप में टूटे हुए को छोड़कर, बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज	प्रतिबंधित	प्रति मीट्रिक टन 1400 अमरीकी डालर के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) की शर्त के अधीन लाइसेंस के तहत निर्यात अनुमत है ।

4. इस अधिसूचना का प्रभाव :

बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज का निर्यात अब प्रतिबन्धित है और उनका निर्यात लाइसेंस के अधीन अनुमत होगा । प्याज की अन्य किस्मों पर निषेध, बशर्ते बहिष्करण को छोड़कर, जारी रहेगा ।

(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
ई मेल :- dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/922/ए एम 08/पीसी 3/एक्सपोर्ट सेल से जारी)